

जेडीए के ज़ोन 12 में बेनाड रोड पर भूमाफियाओं द्वारा

कृषि भूमि पर बसायी जा रही अवैध कॉलोनी!!!

साधा गोविंद विहार-2

दर्जनों खरीदारों के साथ हो रहा खुलेआम धोखा!!

सोसाइटी के फर्जी पट्टों पर बेचे जा रहे

इस अवैध कॉलोनी के भूखंड!!

भाग-1

सबसे बड़ा सवाल?

क्या जेडीए करेगा इस अवैध कॉलोनी के विरुद्ध कार्यवाही

और दर्ज करवाएगा भूमाफियाओं के विरुद्ध FIR?

JDA ने चलाया पीला पंजा: 3 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी, कॉलोनी की सड़कों को JCB की सहायता से तोड़कर किया धवस्त

3 महीने पहले



जेडीए के दावों की पोल खोल रहे जयपुर के भूमाफिया! जेडीए से बिना स्वीकृति कृषि भूमियों पर बसा रहे आवासीय कॉलोनियाँ!

जेडीए लगातार यह दावे कर रहा है कि उसकी सख्ती के चलते कृषि भूमियों पर बस रही आवासीय कॉलोनियों में कमी आई है और जयपुर के बिल्डर/डवलपर अब जेडीए से स्वीकृति के बाद ही कॉलोनियों का निर्माण कर रहे

Jaipur में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ JDA की कार्रवाई, मचा हड़कंप

है। लेकिन भूमाफियाओं की

JDA ने 5 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

Published on: Jan 28, 2021, 1:31 AM IST



मनमानी के सामने शायद यह

जेडीए के कर्ता-धर्ताओं की खुशफहमी साबित हो रही है। आपको बता दें कि विगत 3 सालों में जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी के नेतृत्व में सैंकड़ों अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाये गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जेडीए के बाहरी इलाकों में इन अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आई हुई है।

गृह निर्माण सहकारियों समितियों पर सरकार का डंडा : 1999 के बाद काटे गए भूखंड और पट्टों को कानूनी मान्यता नहीं

डेडलाइन 31 दिसंबर, 2001

इस तारीख तक जिनके रिकॉर्ड जेडीए में जमा हो चुके उनके ही मिलेंगे पट्टे

जयपुर | जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के कृषि भूमि पर 17 जून, 1999 के बाद सृजित, विकसित हुई आवासीय कॉलोनियों या कृषि भूमि पर बनाये गए भूखंडों के नियमन, आवंटन के लिए गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टों को कोई कानूनी मान्यता नहीं है। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शान्ति धारीवाल ने बताया कि कृषि भूमि पर 17 जून, 1999 तक विकसित हुई आवासीय कॉलोनीयों के नियमन के संबंध में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टों को मान्यता नहीं है। गृह निर्माण सहकारी समितियों से 17

जून, 1999 से पूर्व जारी पट्टों की सूची रिकॉर्ड के जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 31 दिसम्बर, 2001 तक जमा करा लिया गया था और जेडीए द्वारा ऐसे भूखण्ड धारी सदस्यों की सूची भी पुस्तिकाओं रूप में मुद्रित करा ली गई थी। गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जो भी रिकॉर्ड उस समय तक संपादित किया गया था। उसमें से यदि पट्टे अभी तक जारी नहीं किए गए हैं तो वह ही रिकॉर्ड मान्य होगा जो जेडीए द्वारा मुद्रित बुकलेट में शामिल है। उसके बाद यदि किसी समिति द्वारा कोई रिकॉर्ड अब प्रस्तुत किया जाता है, तो वह विधि मान्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट

किया कि गृह निर्माण सहकारी समितियों की केवल उसी सदस्यता सूची और पट्टों को मान्यता दी जायेगी, जो कि जेडीए में 31 दिसम्बर, 2001 तक प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा जिनका पुस्तिकाकरण हो चुका है। यदि गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जेडीए में प्रस्तुत सूची के बाद भूखण्डधारियों द्वारा अपने भूखण्ड का बेचान किया गया है या विरासत के आधार पर नाम हस्तान्तरण हुआ है ऐसे मामलों में जेडीए द्वारा नाम हस्तान्तरण को मान्यता दी जायेगी।

बैंकडेट के पट्टे होंगे अवैध

यदि कोई आवासीय कॉलोनी 17 जून, 1999 के बाद बिना अनुमति के विकसित हो गई है, तो ऐसी कॉलोनियों में गृह निर्माण सहकारी समितियों के रिकॉर्ड के आधार पर नियमन नहीं किया जाएगा, साथ ही उनके द्वारा जारी किए गये पट्टे जो 17 जून, 1999 के पूर्व के जारी किये दशाए गए हैं, उन्हें वास्तविकता में वर्तमान में बैंक डेट में जारी किये गए माने जाकर विधि मान्य नहीं माने जाएंगे।

ऐसे भूखंडधारकों को कैसे मिलेंगे वैध पट्टे

1999 के बाद के भूखण्डधारियों ने यदि भूखंडों पर आवास या आंशिक निर्माण, चारदीवारी का निर्माण कर लिया है एवं उस पर भूखण्ड धारी का कब्जा है तो ये राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के तहत ले-आउट के साथ आवेदन कर सकते हैं। जेडीए द्वारा भूखंडों का सर्वे करवाकर सूचियां तैयार कर नियमन किए जा सकेंगे। भूखंडधारियों को निर्माण संबंधी कोई एक सबूत दस्तावेज कब्जे की पुष्टि करने के रूप प्रस्तुत करना होगा। जिसमें बिजली/पानी/टेलिफोन बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज आदि जमा करा सकते हैं।

31 अवैध कॉलोनियों की खातेदारी निरस्त करने के लिए जेडीए ने लिखा पत्र

जेडीए ने कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही करीब 31 कॉलोनियों (Jaipur JDA Illegal colony Action) की खातेदारी निरस्त करने के लिए उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार को पत्र लिखा है। वहीं जेडीए ने अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई में खर्च की राशि वसूल करने के भी नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। जेडीए ने 10 काश्तकारों को नोटिस दिए हैं।

जेडीए के ज़ोन 12 में बेनाड़ रोड पर, सरना
डूंगर चौराहे के नजदीक, होटल ममता
पेरेडाईज के सामने करीब 8 बीघा कृषि भूमि
पर बसायी जा रही है अवैध कॉलोनी


“राधा गोविंद विहार-2”

जयपुर शहर के बाहरी इलाको के ज़ोनो में कृषि भूमियों को बिना भू-रूपांतरित करवाए, उन पर कॉलोनियाँ बसाने का खेल खेला जा रहा है। इन ज़ोनो में एक ज़ोन 12 भी है, जहाँ ताबड़तोड़ अवैध कोलोनियों को बसाने का काम जोरों पर चल रहा है। जेडीए की लगातार कार्यवाहियों के बावजूद इन पर लगाम नहीं लग पा रही है। आपको बता दें कि कृषि भूमियों पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों में एक नाम और शुमार हो गया है, जिसका नाम राधा गोविंद विहार-2 रखा गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जेडीए के ज़ोन 12 में बेनाड़ रोड पर, सरना डूंगर चौराहे के नजदीक, होटल ममता पेरेडाईज के सामने करीब 8 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी “राधा गोविंद विहार-2” बसायी जा रही है।

**राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
सोसाइटी के फर्जी पट्टे से काटी जा रही है
यह अवैध कॉलोनी “राधा गोविंद विहार-2”**


सूत्रों के अनुसार इस स्कीम के अंतरगर्त 95 से अधिक प्लॉट काटे जाएंगे, जिन्हें एक बोगस गृह निर्माण सहकारी समिति राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के पट्टे बांटे जाएंगे। JDA की अधिकृत वेबसाइट पर इस सोसाइटी का कोई हवाला नहीं है और ना ही इस अवैध स्कीम राधा गोविंद विहार-2 का।

चूंकि बेनाड़ रोड पर जमीन की रेट अत्यधिक है, इसके चलते इस अवैध कॉलोनी में भी बनी बनाई वीला की दर 25 लाख से शुरू होना बताई गयी है। इतना ही नहीं भूमाफियाओं द्वारा बैंक से साँठ-गाँठ करके इन भूखंडों पर लोन भी उपलब्ध करवाने का दावा किया जा रहा है। इस प्रकार भूमाफियाओं द्वारा खुलेआम ना केवल जेडीए को राजस्व का चुनाव लगाया जा रहा है, बल्कि ग्राहकों के साथ भी ठगी की जा रही है। ग्राहकों को लुभाने के लिए भूमाफियाओं द्वारा बाकायदा सोशल मीडिया पर जम कर प्रचार भी किया जा रहा है।



जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर कौन है यह भूमाफिया जो कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी बसा रहे है?
2. अब तक कितनी अवैध कॉलोनियाँ काट चुके है यह भूमाफिया?
3. कौन है बोगस गृह निर्माण सहकारी समिति के कर्ता-धर्ता? अब तक जमीनो की धोखाधडी के कितने मामले दर्ज है इन लोगो के खिलाफ? क्या इनके द्वारा बाटे जा रहे पट्टे वैध है?
4. अब तक इस अवैध कॉलोनी मे कितने प्लॉट बेचे जा चुके है?
5. क्या इन प्लॉटो को खरीदने वालों को इस स्कीम की हकीकत मालूम है?
6. यदि अब जेडीए इस अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही करता है तो इन ग्राहकों के साथ हुई धोखाधडी का जिम्मेदार कौन होगा?
7. इस अवैध कॉलोनी के विरुद्ध आज दिनांक तक कितनी शिकायते जेडीए को प्राप्त हुई? उन शिकायतों पर आज दिनांक तक जेडीए प्रवर्तन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?
8. क्या जेडीए इन भूमाफियाओं के विरुद्ध स्थानीय पुलिस मे मामला दर्ज करवाएगी?
9. क्या जेडीए इस खातेदार की खातेदारी निरस्त करवाने की कार्यवाही करेगी?
10. क्या रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां महोदय इस बोगस गृह निर्माण सहकारी समिति के विरुद्ध कार्यवाही करेगे?



JDA की अधिकृत वेबसाईट पर राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति लि. का कोई हवाला नहीं है और ना ही इस अवैध स्कीम राधा गोविंद विहार-2 का।

